

कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (मोप्र०)
(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

क्र० / इ.म./ छात्रवृत्ति शाखा / 2021 /

सागर, दिनांक :— 12/11/2021

गाँव की बेटी/प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना संबंधी सूचना

संरथा में वर्ष 2021–22 में बी.ई. प्रथम में प्रवेशित नवीन छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021–22 हेतु गाँव की बेटी/ प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना के आवेदन पत्र एमपी स्कॉलरशिप 2.0 ऑन लाईन पोर्टल पर भरे जा रहे हैं। अतः आप उपरोक्तनुसार ऑन लाईन आवेदन कर हार्ड कॉपी नोडल सेंटर की छात्रवृत्ति शाखा में समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करें। ताकि इस योजनान्तर्गत प्रस्ताव संबंधित विभाग को प्रेषित किया जा सके।

उपरोक्त दोनों योजनाओं में पूर्व से पात्र छात्रायें नवीनीकरण का आवेदन अंतिम तिथि 15/11/2021 तक आवश्यक रूप से ऑन लाईन भरकर हार्ड कॉपी दस्तावेजों सहित छात्रवृत्ति शाखा में जमा करायें। आवेदन पत्र बिलम्ब से प्राप्त होने पर योजना का लाभ न मिलने अथवा विलंब से मिलने की जबावदारी संबंधित छात्रा की होगी।

योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. छात्रा को गाँव का निवासी होना चाहिए एवं बारहवीं कक्षा में रहकर गाँव की पाठशाला से उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ण करने पर नवोदय विद्यालय से पढ़कर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं पर भी यह योजना लागू होगी।
3. शहरी अथा नगरीय क्षेत्रों के निवासी एवं उन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रायें इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र नहीं होगी।
4. प्रत्येक गाँव से प्रति वर्ष प्रथम श्रेणी में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
5. योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।
6. छात्रा जिस सत्र में बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
7. छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियाँ में से एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।
8. छात्रा द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र यदि गलत या असत्य पाये जाते हैं तो प्रदाय की गई छात्रवृत्ति बसूली कर अनुशासनक कार्यवाही की जावेगी।

आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1. शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची की छायाप्रति।
2. संबंधित छात्रा गाँव की निवासी है इस संबंध में सरपंच का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में शाला प्रमुख का प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।
4. जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गाँव की बेटी का प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।
5. छात्रा के नाम का बैंक खाता क्र० एवं बैंक का आईएफएससी कोड बैंक पास बुक की छाया प्रति।
6. छात्रा के नाम का आधार कार्ड की छाया प्रति।
7. प्रवेश रसीद की छाया प्रति।

प्राचार्य,

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय

सागर (मोप्र०)

सागर, दिनांक :— 12/11/2021

पृ. क्र० / इ.म./ छा.वृ./ 2021 / 12532

प्रतिलिपि :— निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त विभागाध्यक्ष इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की ओर विद्यार्थियों को सूचित करने बावत।
2. वेबसाइट प्रभारी की ओर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड पर चापा हेतु।

प्राचार्य

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय

सागर (मोप्र०)

MP